फर्द अहकाम

अशोक सिंह **बनाम** नगेन्द्र सिंह

न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : प्रार्थना पत्र 44/2024

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
03.03.25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी सं0 1 लगायत 12 के विरूद्ध मूलवाद में सम्यक तामील मानी जाकर अप्रार्थी सं0 1 लगायत 12 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर बहस करने हेतु निवेदन किया। प्रार्थी अधिवक्ता की अस्थायी निषेधाज्ञा पर एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने एवं प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस जाहिर तथ्यों पर मनन करने के उपरान्त न्यायहित को ध्यान में रखते हुऐ वादग्रस्त आराजी ख0नं0 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834 कुल किता 8 कुल रकबा 3.0000 है0 स्थित ग्राम पीलिया प0ह0 खतैपुरा भू0अ0नि0 देवगांव तह0 तूंगा जिला जयपुर के संबंध में उभयपक्षों को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि उभयपक्ष उक्त वादग्रस्त आराजी पर मूलवाद 49/2024 उनवान अशोक सिंह बनाम नगेन्द्र सिंह के निर्णय तक मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो। सहायक कलक्टर बस्सी, जिला जयपुर	